# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 18/2007
(अपील संख्या–111/2023)

लक्ष्मण सिंह हाड़ा **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. श्री रामलुभाया, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री खेमराज चौधरी, एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सुनील कुमार झा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद् चित्तोडगढ।
4. श्री भगवती लाल शर्मा, विकास अधिकारी, पंचायती समिति, भैंसरोड़गढ़ (चित्तोड़गढ)।

**–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 19.03.2007
**आदेश की दिनांक** : 16.04.2024

<u>उपस्थित –</u>
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. यह अवमानना याचिका अपीलार्थी ने अधिकरण द्वारा अपील संख्या 247/2003 लक्ष्मण सिंह हाडा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2006 की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पालना नहीं किये जाने पर प्रस्तुत की गई थी।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अधिकरण को अवगत करवाया कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग की ओर से वांछित राहत प्रदान की जा चुकी है। यदि कोई राहत शेष रह गई हो तो उसे प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जावे।
3. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अधिकरण के आदेशों की पालना हो चुकी है।
4. अतः यह अवमानना याचिका इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यदि कोई अनुतोष प्रदान करना शेष रह गया हो तो अपीलार्थी इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
5. अवमानना याचिका फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवडा)**
**सदस्य**